भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5096
जिसका उत्तर मंगलवार 27 मार्च, 2018 को दिया जाना है

ऑटो उद्योग हेतु बीएस-VI मानक

5096. श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑटो उद्योग को 2020 तक बीएस-VI मानक का पालन करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में उद्योग की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उद्योग ने बीएस-VI इन्वेंटरी को समाप्त कर बीएस-VI मानकों का पालन करने हेतु समय-सीमा को और बढ़ाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख): सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने अपनी अधिसूचना संख्या जीएसआर 889(ई), दिनांक 16.09.2016 के द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2020 को अथवा इसके बाद निर्मित सभी वाहनों को बीएस-VI उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करने हेतु अधिदेशित किया है।

(ग) और (घ): सरकार ने सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अपनी अधिसूचना संख्या 178(ई), दिनांक 28.02.2018 के द्वारा बीएस-IV इन्वेन्टरी को समाप्त करने के लिए 3/6 माह का समय दिया है, जिसमें दिनांक 1 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित उत्सर्जन मानक भारत स्टेज IV वाले नए वाहनों का दिनांक 30 जून, 2020 के बाद पंजीकरण नहीं किया जाएगा। बशर्ते कि दिनांक 01 अप्रैल, 2020 से पहले निर्मित उत्सर्जन मानक भारत स्टेज IV वाले एम और एन श्रेणी के नए वाहन और ड्राइव अवे चेसिस के रूप में बेचे गए वाहनों को दिनांक 30 सितंबर, 2020 के बाद पंजीकृत नहीं किया जाएगा।

*****